अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या— 205/2019-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
06.03.20	वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074 / रा0, दिनांक—13.05.2016 सहपठित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—ख0म0निति—119 / 85 / 2308 / रा0, दिनांक—03.09.1985 एंव सह—पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या—914 / रा0, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्ररम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि— मौजा— ओरमा थाना नं0— 34 खाता सख्या— 21 प्लॉट संख्या— 74 रकबा— 0.28 डि0 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या— I के पृष्ठ संख्या— 165 पर जमाबंदी रैयत नारायण धोबी के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता हैं, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोवस्ती के आधार पर / अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता हैं कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजो / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यो नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक— 20/03/2020 को उपस्थापित करे। 06/3/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

19/08/2020 20.08.2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामील द्वारा निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत / जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया। अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख पुनः भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजें। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- वासुदेव गोपी वगै०

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
डोमरा	34	21	74	0.28 ए०

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं0 165 पर कायम है।

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है:- 88-89

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद मालिक

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- पता नहीं।

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- नहीं।

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अन्य बन्दोबस्ती) बन्दोबस्ती केस न० 22/88-89

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
			88-89

सेवा में
अंचल अधि०
महाशय,
अंकित भूमि मौजा डोमरा थाना नं० 34 खाता नं० 21 खेसरा नं० 74 रकबा 0.28 ए० गैर आबाद मालिक खाते में जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ 165 पर वासुदेव गोपी वि० के नाम पर कायम है जिसका आधार बन्दोबस्ती केस नं० 22/88-89 है। अतः कार्यालय में [illegible] के कारण उक्त जमाबंदी [illegible] है।

[illegible]
[illegible]